

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

(221)

86

क्रमांक एफ.5(2)नविवि/3/99पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 25 APR 2008

परिपत्र

विषय:- कृषि भूमि से वाणिज्यिक/आवासीय व संस्थानिक प्रयोजनार्थ नियमन/भू-रूपान्तरण तथा बाह्य विकास शुल्क नियमन दरों के संबंध में।

जन साधारण को राहत देने के प्रयोजनार्थ राजस्थान के स्थानीय निकायों में कृषि भूमि के आवासीय, वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन/भू-रूपान्तरण एवं बाह्य विकास शुल्क की नियमन दरें निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती हैं :-

संशोधित दरें :-

उपयोग	1 लाख से अधिक आबादी वाले समस्त नगरीय निकाय (नगर विकास न्यास एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर)	50 हजार से 1 लाख की आबादी वाले समस्त नगरीय निकाय	50 हजार से कम आबादी वाले समस्त नगरीय निकाय
कृषि से वाणिज्यिक	240/-रु. प्रति वर्गगज	160/-रु. प्रति वर्गगज	120/-रु. प्रति वर्गगज
कृषि से आवासीय व संस्थानिक	60/-रु. प्रति वर्गगज	40/-रु. प्रति वर्गगज	30/-रु. प्रति वर्गगज
बाह्य विकास शुल्क	50/-रु. प्रति वर्गगज	50/-रु. प्रति वर्गगज	50/-रु. प्रति वर्गगज

(शिव कुमार अग्रवाल)
उप शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास.....।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव